257

संख्या : /IV(1)/2013–145(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

एम0एच0खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 नवम्बर, ,2013

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत ग्राम ढालवाला, मुनिकीरेती, ऋषिकेश में ड्रेन की कवरिगं एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किश्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1229/IV(1)/2010–145(कुम्भ)/2009 दिनांक 01.11.2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सिंचाई खण्ड द्वितीय, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 392.23लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 344.18लाख (₹ तीन करोड चवालिस लाख अठठारह हजार)मात्र की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 150.00लाख(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–170/कु.मे./ढालवाला ड्रेन दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल उक्त कार्य हेतु संस्तुत धनराशि में से एल–1 के आधार पर अवशेष धनराशि ₹185.82 लाख (₹एक करोड़ पिचासी लाख बयासी हजार मात्र) में से 10प्रतिशत की धनराशि ₹18.58लाख को रोकते हुए अवशेष धनराशि अर्थात ₹167.24लाख को ह0वि0प्रा0 के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
ii. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
iii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2014 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।
iv. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

v. उक्त कार्य को स्वीकृत धनराशि से ही पूर्ण कराया जायेगा तथा उक्त कार्य हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

vi. उक्त कार्य को स्वीकृत आगणन के अनुसार ही कराया जायेगा तथा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आगणन में उल्लिखित कार्य किसी अन्य विभागीय योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत न हुए हों।

vii. शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 01.11.2010 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

viii. अवशेष 10प्रतिशत की धनराशि ₹18.58लाख को उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के बाद अवमुक्त किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–436/IV(1)/2010–39(साम0)2006– टी0सी0 दिनांक 25.03.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 108.5590 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या :1033 /IV(1)/2010–145(कुम्भ)/2009तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।